न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक /निगरानी/2010 सतना R-1739-II/2010

सुरेन्द्र कुमार मिश्रा पुत्र जगदीश प्रसाद मिश्रा, निवासी– ग्राम–सुरहा, वृत–जैतवारा, तहसील–मझगंवा, जिला–सतना

.... आवेदक

बनाम

1. जगतनारायण पुत्र रामसजीवन ब्राह्मण
2. दिलीप कुमार मिश्रा पुत्र सुरेन्द्र कुमार मिश्रा, निवासीगण– ग्राम–सुरहा, वृत–जैतवारा, तहसील– मझगंवा, जिला–सतना

... अनावेदकगण

निगरानी आवेदनपत्र धारा 50 म.प्र. भू राजस्व संहिता 1959 के अन्तर्गत प्रस्तुत विरूद्ध आदेश अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के प्रकरण क्रमांक 393/निग./06–07 सुरेन्द्र कुमार मिश्रा बनाम जगतनारायन में आदेश दिनांक 13–09–2010 को पारित ।

श्रीमान् जी,

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार है :–

यह कि, अनावेदक क्रमांक 1 ने वृत जैतवारा में गलत तथ्य बताकर आवेदक का सर्वे नं. 539 जो स्वत्व, स्वामित्व का है में पुश्तैनी कुआ जीर्णशीर्ण हो गया था जिसेय पुर्ननिर्माण कर रहा था उस निर्माण कार्य को रोकने का आदेश वृत जैतवार, तहसील मझगंवा, सतना का प्रकरण क्रमांक 9अ70/06–07 जगत नाराण बनाम सुरेन्द्र कुमार मिश्रा आदि में अनावेदक ने दिनांक 07–02–2007 को स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया । जब आवेदक वृत – जैतवारा के आदेश स्थगन आदेश की जानकारी हुई तो आवेदक ने न्यायालय

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण क्रमांक निग0 1733–दो/2010 जिला–सतना

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
26–9–16	आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री कुवंर सिंह कुशवाह उपस्थित। अनावेदक की ओर से श्री एस0के0 श्रीवास्तव उपस्थित । 2/ आवेदक के अधिवक्ता द्वारा वही तर्क दोहराये गये है जो निगरानी मेमों में है । अतः उसे दुबारा दोहराने की आवश्यकता नहीं है । 3/ आवेदक के अधिवक्ता द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा के प्र0क्र0 393/निग0/2006–07 में पारित आदेश दिनांक 13.09.2010 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959(आगे जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत यह निगरानी प्रस्तुत की गई है। 4/ मेरे द्वारा उभयपक्ष अधिवक्ताओं के तर्क श्रवण किये गये तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया । प्रकरण के अवलोकन से यह बात सामने आती है कि तहसील न्यायालय ने अनावेदक द्वारा उनके समक्ष धारा 250 के तहत आवेदन प्रस्तुत होने पर अवैध निर्माण के संबंध में न तो कोई मौका जांच कराई और न ही इस संबंध में संसंगत किसी साक्ष्य की विवेचना ही उन्होंने की और बगैर किसी आधार के स्थंगन आदेश पारित कर दिया। इसके उपरांत दिनांक 15.02.2007 को आवेदक की ओर से जवाब प्राप्त होने पर पहले बिना किसी स्थल जांच के स्थंगन जारी रहने का आदेश और	

उसके बाद उसी दिनांक को आदेश पत्रिका में पुनश्च लिखकर जारी स्थंगन आदेश समाप्त कर दिया ।

5/ संहिता की धारा 250 के अंतर्गत कार्यवाही का आधार मुख्यतः सीमांकन/स्थल जांच होता है जो कि तहसीलदार द्वारा अपने अधीनस्थ राजस्व निरीक्षक एवं पटवारी से कराया जाता है । प्रस्तुत प्रकरण में आवेदक और अनावेदक दोनों ही विवादित भूमि जिस पर आवैध निर्माण कराया जाना कथित है, अपने स्वामित्व का होना बता रहे है । अतः जब तक स्थल जांच /सीमांकन उपरांत यह तय नहीं हो जाता हकि वास्तव में कौन अवैध निर्माण कर रहा है तब तक स्थंगन के संबंध में बार–बार अपने आदेश को परिवर्तित नहीं किया जाना चाहिये था । इस पर अपर कलेक्टर ने विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश को निरस्त करने में कोई त्रुटि नहीं की है । इसकी पुष्टि अपर आयुक्त रीवा ने अपने आदेश में की है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत निगरानी सारहीन एवं बलहीन होने से निरस्त की जाती है तथा अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा के द्वारा पारित आदेश दिनांक 13.09.2010 एवं अपर कलेक्टर सतना के द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.02.2007 विधिसंगत होने से स्थिर रखा जाता । निगरानीकर्ता अपनी भूमि का सीमांकन कराने हेतु स्वतंत्र है । यदि वह आवेदन प्रस्तुत करता है तो आवेदन प्राप्त होने के उपरांत 2 माह की समयावधि में तहसीलदार प्रकरण का निराकरण करें। प्रकरण समाप्त किया जाकर दाखिल रिकॉड हो ।

(के0सी0 जैन)
सदस्य